



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

43-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 21, 2016 (CHAITRA 1, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st March, 2016

No.13-HLA of 2016/16.— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 13- HLA of 2016

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2016. Short title.
2. In section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (hereinafter called the principal Act),-
 - (i) after clause (b), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 18th February, 2015, namely:-

“(bb) ‘change in beneficial interest’ means change in existing developer, assignment of joint development rights, marketing rights or cumulative change in shareholding pattern beyond twenty-five percent of share holding existing at the time of grant of licence;”;Amendment of section 2 of Haryana Act 8 of 1975.

- (ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-
“(d) ‘colonizer’ means an individual, company or association or body of individuals, whether incorporated or not, owning land for converting it into a colony and to whom a licence has been granted under this Act and shall include a developer;”;
- (iii) for clause (ddd), the following clause shall be inserted, namely:-
“(d1) ‘developer’ means an individual, company, association, firm or a limited liability partnership, designated through a collaboration/development agreement with the owner for making an application for grant of licence and for completion of formalities required on behalf or such owner to develop a colony;
(d2) ‘development rights’ means the rights given for development of land within the urbanisable limit of development plan either to an owner who surrenders such land to vest with the Government without claiming any compensation for the purpose of obtaining TDR Certificate or to a colonizer whom a PDR Certificate has been issued, after fulfilling such terms and conditions and on payment of such fee, as may be prescribed;”;
- (iv) after clause (jj), the following clause shall be inserted, namely:-
“(jjj) ‘notional land’ means the theoretical land of which TDR Certificate has been issued;”;
- (v) after clause (nn), the following clauses shall be inserted, namely:-
“(n1) ‘Purchasable Development Rights Certificate (PDR Certificate)’ means the certificate of development rights given to a colonizer in a specified colony which shall not be resalable or transferable;
(n2) ‘Transferable Development Rights Certificate (TDR Certificate)’ means the certificate of development rights given to an owner who surrenders such land to vest with the Government without claiming any compensation and such certificate may be sold within urbanisable limit of a development plan by the owner;”.

Amendment of section 3 of Haryana Act 8 of 1975.

3. In section 3 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
(A) in the existing proviso, for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
(B) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-
“Provided further that owner may enter into an agreement jointly or severally with a developer for pooling of land for grant of licence.”;
- (ii) in clause (a) of sub-section (3),-
(a) in sub-clause (iv),-
(A) in the third proviso, for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
(B) after the third proviso, the following proviso shall be added, namely:-
“Provided further that the applicant shall be exempted from the provisions of this clause where compliance of clause (iv-b) is sought by the Director.”;
- (b) after sub-clause (iv-a), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
“(iv-b) to hand-over the possession and transfer the ownership of such land, as demarcated and identified in the approved layout plan, in such form and manner, as may be specified by the Director and such land shall vest with the Government to achieve the objective of creation of community buildings, housing, commercial and other physical and social urban infrastructure, in such colonies where a condition to this effect is imposed by the Director, before grant of licence;”.

Insertion of section 3D in Haryana Act 8 of 1975.

4. After section 3C of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 18th February, 2015, namely:-

“3D. Change in beneficial interest.- After a licence has been granted under sub-section (3) of section 3 of this Act, the Director may, if satisfied, after making such enquiries, as he may consider necessary, on an application from the colonizer, allow the change in beneficial interest to a third-party, after the fulfillment of such terms and conditions, as specified by the Director and after recovery of such administrative charges, as may be prescribed.”

5. After section 6 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

Insertion of sections 6A and 6B in Haryana Act 8 of 1975.

“6A. Grant of Transferable Development Rights (TDR) Certificate.- (1) If the owner whose land is eligible for issuance of TDR Certificate within the urbanisable limits of any development plan, subject to such terms and conditions, as may be prescribed, makes an application on the prescribed format, for handing over the possession of such land, to vest with the Government through the Director, for all intents and purposes, free from all encumbrances, shall, notwithstanding anything contained in this Act or rules framed thereunder, be entitled to be granted TDR Certificate upon payment of such fee and charges, as may be prescribed.

(2) On receipt of the application under sub-section (1), the Director, shall undertake scrutiny of such application to-

- (a) verify the extent, situation and title of the land;
- (b) ascertain conformity of the application to the prescribed parameters; and
- (c) initiate and examine the claims and objections in such manner, as may be prescribed.

(3) After the scrutiny under sub-section (2), the Director may issue a TDR Certificate specifying the notional land, to be calculated after factorizing with the prescribed index, on which development rights may be availed subject to such terms and conditions, as may be prescribed or may reject it, citing reasons thereof:

Provided that no such application shall be rejected without giving an opportunity of hearing to the owner.

(4) The entitlement of development rights shall be calculated on the basis of the area of the land and its location, which on account of issuance of TDR Certificate shall vest with the Government, free from all encumbrances and without claiming compensation under any law for the time being in force:

Provided that the Government may either transfer such land that has vested with it to any person or institution including a local authority for such purpose, on such terms and conditions, as it may deem fit, or enter into an exchange of the land with any other person or institution to ensure better planning, before its transfer and utilization.

(5) The development rights shall only be utilizable after due approval from the Director at the time of approval of building plans and shall not be allowed to be utilized unless an entry to such effect is made in the TDR Certificate and the register/database maintained by the Director.

(6) The utilization of development rights shall be subject to such limitations, as may be prescribed.

(7) The Director shall maintain and periodically publish a register/database including entries of issue, transfer or utilization of development rights granted under this section in such manner, as may be prescribed.

6B. Grant of Purchasable Development Rights Certificate (PDR Certificate).- (1) A colonizer intending to obtain a PDR Certificate shall make an application on the prescribed format, alongwith an undertaking to deposit such fee, as may be prescribed, upon demand, shall be entitled to be granted PDR Certificate under this section upon fulfillment of such terms and conditions and on payment of such fee, as may be prescribed.

(2) On receipt of the application under sub-section (1) and upon scrutiny of the application, the Director, if satisfied, may issue PDR Certificate specifying its utilization or may reject it, citing reasons thereof:

Provided that no such application shall be rejected without giving an opportunity of hearing to the colonizer.

(3) The utilization of development rights against any PDR Certificate issued against a specific colony shall be non-transferable and fee deposited against it shall be non-refundable.”

6. After section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of section 8A in Haryana Act 8 of 1975.

“8A. Online receipt and approval.- (1) All functions performed under this Act may also be performed through electronic form and internet.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the functions may include all or any of the followings:-

- (a) receipt or acknowledgement of applications and payments;
- (b) issue of approvals, orders or directions;
- (c) scrutiny, enquiry or correspondence for grant of license, its renewal, transfer, change in beneficial interest or grant of occupation certificates, part or completion certificate etc.;
- (d) approval of plans, estimates, occupation certificates etc.;
- (e) filing of documents;
- (f) issue of notices for recoveries;
- (g) maintenance of registers and records;
- (h) any other function that the Director may deem fit in public interest.”.

Amendment of section 24 of Haryana Act 8 of 1975.

7. In sub-section (2) of section 24 of the principal Act,-

- (i) in clause (i), for the sign “.” existing at the end, the sign “;” shall be substituted;
- (ii) after clause (i), the following clause shall be added at the end, namely:-
“(j) any other matter which has to be or may be prescribed.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Several policy decisions have recently been taken at the level of the Government, which would have a significant positive impact in improving transparency in dealing with licence cases as well as in providing a major fillip to the urban development sector. The implementation of the New Integrated Licencing Policy and issuance of Transferable Development Rights (TDR) certificate would make available land to the Government for development of community facilities, infrastructural facilities, EWS/affordable housing, physical/ social/commercial urban infrastructure in various towns without resorting to land acquisition. Further, the Government has taken an in-principle decision to allow issuance of PDR Certificate, to enable grant of higher FAR against payment of prescribed fee. In addition, it is proposed to make an enabling provision for recovery of administrative charges in cases pertaining to changes in beneficial interest in licenced colonies. The Government also envisages to initiate on-line receipt and issuance of statutory approvals to further increase the transparency and efficiency in the functioning of the Department, for which an enabling provision in the Act is required.

For the implementation of the policy decisions as indicated above, an enabling provision in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 is required.

Hence this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 21st March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 13-एच0एल0ए0

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,—

(i) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा तथा 18 फरवरी, 2015 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(खख) ‘लाभदायक हित में परिवर्तन’ से अभिप्राय है, वर्तमान विकासक, संयुक्त विकास अधिकारों का समनुदेशन, विपणन अधिकारों में परिवर्तन अथवा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के समय पर वर्तमान शेयर धारण का पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर धारण पैटर्न में संचयी परिवर्तन;”;

(ii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(घ) ‘उपनिवेशक’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, कम्पनी या व्यष्टि—संगम या व्यष्टि—निकाय, चाहे निगमित है अथवा नहीं, भूमि को उपनिवेश में परिवर्तित करने के लिए इसका स्वामित्व रखने वाला और जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है तथा इसमें कोई विकासक भी शामिल है;”;

(iii) खण्ड (घघघ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(घ1) ‘विकासक’ से अभिप्राय है, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए तथा किसी उपनिवेश का विकास करने के लिए ऐसे स्वामी की ओर से अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए आवेदन करने हेतु स्वामी के साथ सहयोग/ विकास करार के माध्यम से पदाभिहित कोई व्यक्ति, कम्पनी, व्यष्टि—संगम, फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी;

(घ2) ‘विकास अधिकार’ से अभिप्राय है, या तो स्वामी को, जो टीडीआर प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, या किसी उपनिवेशक, जिसको ऐसे निबन्धन तथा शर्तें पूरी करने के बाद तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, पीडीआर प्रमाण—पत्र जारी किया गया है, विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर भूमि के विकास के लिए दिए गए अधिकार;”;

(iv) खण्ड (जज) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(जजज) ‘अप्रयोगमूलक भूमि’ से अभिप्राय है, सैद्धान्तिक भूमि जिसका टीडीआर प्रमाण—पत्र जारी किया गया है;”;

(v) खण्ड (ढढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ढ1) ‘खरीदयोग्य विकास अधिकार प्रमाण—पत्र (पीडीआर प्रमाण—पत्र)’ से अभिप्राय है, किसी विनिर्दिष्ट उपनिवेश, जो पुनः विक्रययोग्य तथा अन्तरणीय नहीं होगा, में किसी उपनिवेशक को दिए गए विकास अधिकारों का प्रमाण—पत्र ;

(ढ2) ‘अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाण—पत्र (टीडीआर प्रमाण—पत्र)’ से अभिप्राय है, किसी स्वामी जो किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, को दिए गए विकास अधिकारों का प्रमाण—पत्र तथा ऐसा प्रमाण—पत्र स्वामी द्वारा किसी विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर विक्रय किया जा सकता है ;”;

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) उप-धारा (1) में,—

- (क) विद्यमान परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
"परन्तु यह और कि स्वामी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए भूमि एकीकरण हेतु किसी विकासक से संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से करार कर सकता है।";
- (ii) उप-धारा (3) के खण्ड (क) में,-
(क) उप-खण्ड (iv) में,-
(क) तृतीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
(ख) तृतीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
"परन्तु यह और कि आवेदक को इस खण्ड के उपबन्धों से छूट प्राप्त होगी जहां खण्ड (iv-ख) की अनुपालना निदेशक द्वारा चाही गई है।";
(ख) उप-खण्ड (iv-क) के बाद, निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(iv-ख) अनुमोदित लेआउट प्लान में यथा सीमांकित तथा चिह्नित ऐसी भूमि के स्वामित्व का कब्जा तथा अन्तरण, ऐसे रूप तथा रीति में, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सौंपना तथा ऐसी भूमि, ऐसे उपनिवेशों में, जहां निदेशक द्वारा, अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, इस प्रभाव की कोई शर्त अधिरोपित की गई है, सामुदायिक निर्माणों, आवास, वाणिज्यिक तथा अन्य भौतिक तथा सामाजिक नगरीय अवसंरचना के सर्जन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार में निहित होगी;"।

4. मूल अधिनियम की धारा 3ग के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी तथा 18 फरवरी, 2015 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 3घ का रखा जाना।

"3घ. लाभदायक हित में परिवर्तन.- इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बाद, निदेशक, यदि ऐसी जांच, जैसा वह आवश्यक समझे, करने के बाद संतुष्ट हो जाता है, तो उपनिवेशक के आवेदन पर, निदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धन तथा शर्तें पूरी करने के बाद तथा ऐसे प्रशासकीय प्रभार, जो विहित किए जाएं, की वसूली के बाद, किसी तृतीय पक्षकार को लाभदायक हित में परिवर्तन अनुज्ञात कर सकता है।"

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 6क तथा 6ख का रखा जाना।

"6क. अन्तरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण-पत्र प्रदान करना.- (1) यदि स्वामी, जिसकी भूमि ऐसे निबन्धन तथा शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन, किसी विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर टीडीआर प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु उपयुक्त है, सभी आशयों तथा प्रयोजनों हेतु, सभी ऋणधारों से मुक्त, निदेशक के माध्यम से सरकार में निहित करने के लिए, ऐसी भूमि का कब्जा सौंपने के लिए, विहित फारमेट में आवेदन करता है, तो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी फीस तथा प्रभार, जो विहित किए जाएं, के भुगतान पर टीडीआर प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, निदेशक,-
(क) भूमि का परिमाण, स्थान तथा हक सत्यापित करने ;
(ख) विहित प्राचलों से आवेदन की अनुरूपता अभिनिश्चित करने; तथा
(ग) ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में दावों को आरम्भ करने तथा आक्षेपों का परीक्षण करने, के लिए ऐसे आवेदन की संवीक्षा करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन संवीक्षा करने के बाद, निदेशक, विहित निर्देशिका, जिस पर विकास अधिकार ऐसे निबन्धन तथा शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन उपयोग किए जा सकते हैं, से गुणनखण्ड करने के बाद, संगणित की जाने वाली अप्रयोगमूलक भूमि विनिर्दिष्ट करते हुए टीडीआर प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है अथवा इसे, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए, रद्द कर सकता है :

परन्तु कोई भी ऐसा आवेदन स्वामी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(4) विकास अधिकारों की हकदारी भूमि के क्षेत्र तथा इसकी अवस्थिति के आधार पर संगणित की जाएगी, जो टीडीआर प्रमाण-पत्र जारी करने के कारण सभी ऋणधारों से मुक्त तथा तत्समय लागू किसी विधि के अधीन प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित होगी :

परन्तु सरकार या तो ऐसी भूमि का अन्तरण, जो इसमें निहित है, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जैसा यह उचित समझे, पर, ऐसे प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण सहित किसी व्यक्ति या संस्था को कर सकती है, या इसके अन्तरण तथा उपयोग से पूर्व, अच्छी योजना को सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से भूमि की अदला-बदली कर सकती है।

(5) विकास अधिकार केवल निर्माण प्लान के अनुमोदन के समय पर निदेशक से सम्यक् अनुमोदन प्राप्त करने के बाद व्यवहार्य होंगे तथा तब तक उपयोग किया जाना अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक निदेशक द्वारा टीडीआर प्रमाण-पत्र में ऐसे प्रभाव की प्रविष्टि नहीं की जाती है तथा रजिस्टर/ डाटाबेस नहीं बनाया जाता है।

(6) विकास अधिकारों का उपयोग ऐसी परिसीमाओं के अध्यक्षीन होगा, जो विहित की जाएं।

(7) निदेशक, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में इस धारा के अधीन प्रदान किए गए विकास अधिकारों को जारी करने, अन्तरण करने अथवा उपयोग करने की प्रविष्टियों सहित रजिस्टर/ डाटाबेस बनाए रखेगा तथा समय-समय पर प्रकाशित करवाएगा।

6ख. खरीदयोग्य विकास अधिकार प्रमाण-पत्र (पीडीआर प्रमाण-पत्र) प्रदान करना.— (1) पीडीआर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आशयित कोई उपनिवेशक, मांग पर, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, जमा करवाने की वचनबद्धता सहित विहित फारमेट पर आवेदन करेगा, ऐसे निबन्धन तथा शर्तें पूरी करने पर तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, इस धारा के अधीन पीडीआर प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर तथा आवेदन की संवीक्षा पर, निदेशक, यदि सन्तुष्ट हो जाता है, इसके उपयोग को विनिर्दिष्ट करते हुए पीडीआर प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है अथवा इसे, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए, रद्द कर सकता है :

परन्तु कोई भी ऐसा आवेदन उपनिवेशक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(3) किसी विशिष्ट उपनिवेश के लिए जारी किए गए किसी पीडीआर प्रमाण-पत्र के लिए विकास अधिकारों का उपयोग अनन्तरणीय होगा तथा इसके लिए जमा करवाई गई फीस अप्रतिदेय होगी।”।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 8क का रखा जाना।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“8क. ऑनलाइन प्राप्ति तथा अनुमोदन.— (1) इस अधिनियम के अधीन पूरे किए गए सभी कृत्य इलैक्ट्रॉनिक फोरम तथा इंटरनेट के माध्यम से भी पूरे किए जा सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कृत्यों में निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं को शामिल किया जा सकता है :-

(क) आवेदनों तथा भुगतानों की प्राप्ति अथवा पावती ;

(ख) अनुमोदन, आदेश अथवा निर्देश जारी करना ;

(ग) अनुज्ञप्ति प्रदान करने, इसका नवीकरण, अन्तरण, लाभदायक हित में परिवर्तन अथवा अधिभोग प्रमाण-पत्र, उसका भाग या समापन प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रदान करने हेतु संवीक्षा, जांच अथवा पत्राचार;

(घ) नकशों, अनुमानों, अधिभोग प्रमाण-पत्रों इत्यादि का अनुमोदन;

(ङ) दस्तावेज दायर करना ;

(च) वसूलियों के लिए नोटिस जारी करना ;

(छ) रजिस्ट्रों तथा अभिलेखों का अनुसंधान ;

(ज) कोई अन्य कृत्य जो निदेशक लोक हित में उचित समझे।”।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 24 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) में,—

(i) खण्ड (झ) में, अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “;” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (झ) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(ज) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है।”।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हाल ही में सरकार द्वारा अनेक नीतिगत निर्णय लिए गये हैं, जोकि लाईसेंस से सम्बन्धित मामलों के निपटाने में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा शहरी विकास में तेज़ी लाने में काफी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। नई समेकित अनुज्ञप्ति नीति के लागू करने तथा स्थानान्तरणीय विकासाधिकार प्रमाण पत्र (टी.डी.आर.) जारी करने से सरकार को, बिना भूमि अधिग्रहण किए विभिन्न शहरों में सामुदायिक सुविधाओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, ई.डब्ल्यू. एस./सस्ते आवासों, भौतिक/सामाजिक/वाणिज्यिक/शहरी अवसंरचना के लिए, भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा, पी.डी.आर. प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है ताकि निर्धारित शुल्क की अदायगी के पश्चात् उच्च एफ.ए.आर. दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्त कालोनियों के लाभकारी हित में परिवर्तन से सम्बन्धित मामलों में प्रशासनिक प्रभारों की वसूली के लिए सक्षम प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार विभाग के कार्यकलापों में और अधिक पारदर्शिता तथा निपुणता लाने के लिए विभिन्न वैधानिक अनुमोदनों के आनलाइन प्राप्ति तथा प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसके लिए अधिनियम में सक्षम प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त नीतिगत निर्णयों को लागू करने हेतु हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 में सक्षम प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।